144

समक्ष : न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.कं. –I/2016/निगरानी

बाबुलाल पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा
निवासी ग्राम मयापुर तह. व जिला
श्योपुर म.प्र.

.....निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र.शासन

.....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.रा.सं.1959 की धारा–50 विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के प्र.कं. 17/10–11/170ख में पारित आदेश दिनांक 06.07.2016

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि ग्राम मयापुर की भूमि सर्वे 190/4ख रकबा 2.090हे., आवेदक बाबुलाल के नाम विधिवत राजस्व अभिलेख खसरा पंचशाला में भूदान भूस्वामी के रूप में दर्ज है। आवेदक द्वारा उक्त वर्णित भूमि पर बोर करवाकर विघुत कनेक्शन भी लिया हुआ हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर खेती करता आ रहा है और मौके पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की उक्त भूमि को प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 06.07.16 से नियम प्रकिया के विपरीत लटूर पुत्र सांवल्या सहर के नाम दर्ज करने के आदेश देते हुए आवेदक का नाम खसरे से विलोपित करने के आदेश म.प्र.भू.रा.सं.1959 की धारा 170ख के तहत दिये है, जबकि विचारणीय प्रकरण में धारा–170ख के प्रावधान लागू नहीं होते है, क्योकि आवेदक ने भूमि अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति से प्राप्त नहीं की है, बल्कि शासन से प्राप्त की हैं। जिस व्यक्ति के नाम भूमि दर्ज करने के आदेश दिये है उक्त व्यक्ति का भूदान पट्टा पूर्व में ही न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 269/73–74/अ–86 आदेश दिनांक 22.07.74 से निरस्त कर दिया गया अर्थात भूमि शासकीय हो गई थी, जिसके बाद शासन से आवेदक ने भूमि प्राप्त की है, इसलिये धारा–170ख के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी नियम विरूद्व उक्त धारा की आड लेकर आलोच्य आदेश पारित कर दिया है, जिसमें यह भी नहीं देखा कि जिस व्यक्ति के नाम भूमि दर्ज करने के आदेश दिये जा रहे है वह जीवित भी है अथवा नहीं, जैसा कि आलोच्य आदेश में लिखा है कि लटूर फोत हो गया हो तो उसके वारिसों के नाम दर्ज करें, जो नियम विरूद्व है, जिससे दुखित

कमंशः.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2376/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-8-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 17/2010–11/170 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम मायापुर की भूमि सर्वे क्रमांक 190/4ख रकवा 2.090 है0 आवेदक बाबूलाल के नाम राजस्व अभिलेख खसरा पंचशाला में भूदान भूमि स्वामी में दर्ज है। आवेदक द्वारा उक्त वर्णित भूमि पर बोर लगवाकर विद्युत कनेक्शन लिया है तथा वह अपनी कृषि भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा आवेदक की उक्त भूमि को प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 06.07.2016 से लदुर पुत्र साबंल्या सहर के नाम दर्ज करने के आदेश देते हुये आवेदक का नाम खसरा से विलोपित करने का आदेश धारा 170ख के तहत् दिया है। जबकि	

आवेदक ने भूमि अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति से प्राप्त नहीं की बल्कि शासन से प्राप्त की है। जिस व्यक्ति के नाम भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये है उक्त व्यक्ति का भू–दान पट्टा पूर्व में ही न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 22.07.1974 से निरस्त कर दिया है अर्थात् भूमि शासकीय हो गयी है जिसके बाद शासन से आवेदक ने भूमि प्राप्त की है इसलिये धारा 170 ख के प्रावधान लागू नहीं होते इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस व्यक्ति के नाम भूमि दर्ज किये जाने का आदेश दिया है वह व्यक्ति जीवित है अथवा नहीं। इसका उल्लेख आलोच्य आदेश में नहीं है आदेश में लिखा है कि लटूर फौत हो गया है, तो उसके वारिस के नाम दर्ज करें। जो नियम विरूद्ध है इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदक की आरे से उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य की जॉच नहीं की गयी। कि उनके द्वारा जिस व्यक्ति का नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये है उसका भूदान पट्टा

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.07.1974 को दर्ज कर भूमि शासकीय की गयी है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि शासकीय हो जाने के पश्चात् अनुसूचित जनजाति की व्यक्ति की भूमि न होकर शासन की सम्पत्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को लटूर पुत्र सांबल्या सहर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि मानकर आलोच्य आदेश पारित करना विधि विधान के विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शासन की ओर से पट्टो की शर्तो के उल्लंघन से भूदान धारक लटूर पुत्र सांबल्या का पट्टा निरस्त किया और उसी न्यायालय द्वारा अपने ही न्यायालीन आदेश को अवैध मानकर 40 वर्ष बाद भूमि भूदान पट्टा प्राप्त करने वाले लटूर के नाम दर्ज करने और आवेदक बाबूलाल का नाम हटाने का नाम आदेश देना विधि विपरीत है। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– म.प्र. शासन की ओर से उपस्थित शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित किया गया है वह विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6– उभय पक्षों के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 269/73–74/अ–86 में पारित आदेश दिनांक 22.04.1974 से लदूर पुत्र सांबल्या सहर का भूदान पट्टा निरस्त किया गया है। और भूमि शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश हुआ है तत्पश्चात् पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि लदूर पुत्र सांबल्या सहर के फौत हो जाने पर उसके वारिसानों के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है। उपरोक्त दोनो आदेश एक दूसरे के विपरीत है जहॉ तक संहिता की धारा 170 ख का प्रश्न है तो वह इस प्रकरण में लागू नहीं होते क्योंकि आदेश दिनांक 22. 07.1974 से भूदान पट्टा निरस्त होने के पश्चात् भूमि शासकीय हो गयी थी। भूमि शासकीय हो जाने के पश्चात् अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि न रहकर शासन की सम्पत्ति हो गयी है ऐसी स्थिति में लदूर पुत्र सांबल्या सहर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि मानकर जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा पारित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/2010–11/170ख में

पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं ग्राम मयापुर की भूमि सर्वे क्रमांक 190/4ख रकवा 10 बीघा आवेदक बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ वैरवा के नाम पूर्ववत् राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्योपुर को दिये जाते है इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य